भारत सरकार
शिक्षा मंत्रालय
उच्चतर शिक्षा विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या-1204
उत्तर देने की तारीख-27/07/2026

शिक्षा की बढ़ती लागत के कारण उच्च शिक्षा को छोड़ना

1204. **श्री राम शिरोमणि वर्मा**:
क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:
(क) क्या सरकार को जानकारी है कि पूरे देश में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों और ग्रामीण परिवारों के बड़ी संख्या में छात्र उच्च शिक्षा की बढ़ती लागत के कारण स्नातक स्तर और उसके बाद अपनी पढ़ाई छोड़ने को विवश हैं और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके कारण क्या हैं;
(ख) क्या सरकार का पूरे देश के सभी छात्रों के लिए स्नातक स्तर तक निःशुल्क और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए कोई नीति या योजना कार्यान्वयन करने का विचार है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(ग) क्या सरकार श्रावस्ती और बलरामपुर जैसे आकांक्षी और सीमावर्ती जिलों में उच्च शिक्षा संस्थानों, संव्यावसायिक महाविद्यालयों और कौशल विकास केंद्रों की स्थापना किए जाने और उन्हें सुदृढ़ करने के लिए कोई विशेष कार्य योजना बना रही है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके लिए नियत समय-सीमा क्या है?

उत्तर

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री
(डॉ. सुकान्त मजूमदार)

(क) से (ग): शिक्षा समवर्ती सूची का विषय है। शिक्षा के विकास के लिए केंद्र तथा राज्य दोनों सरकारें कार्य करती हैं। उच्चतर शिक्षा क्षेत्र में विद्यार्थियों के समक्ष अनेक विकल्प उपलब्ध होते हैं और वे अपनी पसंद के अनुसार एक पाठ्यक्रम, कार्यक्रम अथवा संस्थान/विश्वविद्यालय से दूसरे पाठ्यक्रम, कार्यक्रम अथवा संस्थान/विश्वविद्यालय में प्रवेश लेकर स्थानांतरित होते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी), 2020 के अनुरूप, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) ने उच्चतर शिक्षा संस्थानों में प्रदान किए जाने वाले शैक्षणिक कार्यक्रमों में बहु प्रवेश और निकास हेतु दिशानिर्देशों को अधिसूचित किया है, जिससे अकादमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स (एबीसी) के माध्यम से लचीली अध्ययन व्यवस्था और शैक्षणिक गतिशीलता की सुविधा मिलती है। इन पहलों के परिणामस्वरूप, उच्चतर शिक्षा में

भारत का सकल नामांकन अनुपात (जीईआर) वर्ष 2014-15 के 23.7 से बढ़कर वर्ष 2023-24 में 30 हो गया है। जीईआर में इस वृद्धि के साथ-साथ छात्र नामांकन में भी उल्लेखनीय बढ़ोतरी हुई है। उच्चतर शिक्षा में कुल नामांकन वर्ष 2014-15 के 3.42 करोड़ से बढ़कर वर्ष 2023-24 में 4.50 करोड़ हो गया है। इस प्रकार, इस अवधि में उच्चतर शिक्षा प्रणाली में 1.08 करोड़ से अधिक नए विद्यार्थियों का नामांकन हुआ है।

सरकार मौजूदा योजना दिशानिर्देशों के अध्यधीन विद्यार्थियों को उच्चतर शिक्षा प्राप्त करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने हेतु विभिन्न छात्रवृत्ति योजनाएं कार्यान्वित कर रही है। एससी, एसटी, ओबीसी और अल्पसंख्यकों के लिए पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजनाएं केंद्र प्रायोजित योजनाएं हैं जिन्हें राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है तथा सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, जनजातीय कार्य मंत्रालय और अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय द्वारा प्रशासित किया जा रहा है। इन छात्रवृत्ति योजनाओं के तहत, लाभ एससी, एसटी, ओबीसी के सभी विद्यार्थियों को उनके माता-पिता की आय की सीमा और योजना के दिशानिर्देशों के अनुसार दिया जाता है।

उच्चतर शिक्षा विभाग (डीएचई) योजना के दिशानिर्देशों के अनुसार देश में उच्चतर शिक्षा प्राप्त करने के लिए विद्यार्थियों को वित्तीय सहायता प्रदान करने हेतु प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा प्रोत्साहन (पीएम-यूएसपी) योजना कार्यान्वित करता है। इसके अतिरिक्त, भारत सरकार ने नवंबर 2024 में एक नई केंद्रीय क्षेत्र योजना पीएम-विद्यालक्ष्मी शुरू की है, जिसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि कोई भी विद्यार्थी वित्तीय बाधाओं के कारण उच्चतर शिक्षा प्राप्त करने के अवसर से वंचित न रहे। इस योजना के अंतर्गत, उन सभी विद्यार्थियों को संपार्श्विक मुक्त और गारंटर-मुक्त शिक्षा ऋण प्रदान किया जाता है जो उच्च गुणवत्तापूर्ण उच्चतर शिक्षा संस्थानों (क्यूएचईआई) में योग्यता आधारित प्रवेश प्राप्त करते हैं और जो शिक्षा ऋण प्राप्त करना चाहते हैं। इसके अतिरिक्त, ₹ 8 लाख तक की वार्षिक पारिवारिक आय वाले विद्यार्थियों के लिए, यह योजना ₹ 10 लाख तक के ऋण पर 3% ब्याज छूट प्रदान करती है। दिनांक 6 नवंबर, 2024 को इस योजना के शुभारंभ के बाद से दिनांक 21 जुलाई, 2026 तक 112817 संपार्श्विक-मुक्त और गारंटर-मुक्त पीएम विद्यालक्ष्मी शिक्षा ऋण संस्वीकृत किए गए हैं। संस्वीकृत राशि 15,634.78 करोड़ रुपये है।

वर्ष 2025-26 में लगभग 1.09 करोड़ विद्यार्थियों को पोस्ट-मैट्रिक और उच्चतर शिक्षा के लिए छात्रवृत्तियां प्रदान की गईं। इसमें अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी), अति पिछड़ा वर्ग (ईबीसी) और विमुक्त जनजाति (डीएनटी) के विद्यार्थियों के लिए लगभग 36 लाख छात्रवृत्तियां; अनुसूचित जाति (एससी) के विद्यार्थियों के लिए लगभग 48 लाख छात्रवृत्तियां; तथा अनुसूचित जनजाति (एसटी) के विद्यार्थियों के लिए लगभग 24 लाख छात्रवृत्तियां शामिल हैं।

इसके अतिरिक्त, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों (आईआईटी) और राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थानों (एनआईटी) जैसे संस्थानों में उच्चतर शिक्षा को किफायती बनाने के लिए, अवर स्नातक (यूजी) कार्यक्रम की ट्यूशन फीस में छूट न केवल सामाजिक रूप से कमजोर वर्गों को बल्कि समाज के आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों को भी प्रदान की जाती है। इसमें अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति और पीडब्ल्यूडी विद्यार्थियों के लिए पूर्ण शुल्क माफी तथा आर्थिक रूप से पिछड़े विद्यार्थियों (जिनकी पारिवारिक आय ₹1 लाख प्रति वर्ष से कम है) के लिए शुल्क की पूर्ण छूट और अन्य आर्थिक रूप से पिछड़े विद्यार्थियों (जिनकी पारिवारिक आय ₹1 लाख से ₹5 लाख प्रति वर्ष के बीच है) के लिए शुल्क में दो-तिहाई की छूट शामिल है।

सरकार ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी), 2020 के अनुरूप उच्चतर शिक्षा संस्थानों (एचईआई) को सुदृढ़ करने के लिए कई उपाय किए हैं। अखिल भारतीय उच्चतर शिक्षा सर्वेक्षण (एआईएसएचई) के पोर्टल के अनुसार, देश में विश्वविद्यालय/विश्वविद्यालय स्तर के संस्थानों, कॉलेजों और स्टैंड-अलोन संस्थानों की संख्या क्रमशः 1395, 53197 और 16577 हो गई है। वर्ष 2014 से 16 भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईआईटी), 8 केंद्रीय विश्वविद्यालय (सीयू), 8 भारतीय प्रबंधन संस्थान (आईआईएम), 7 भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी), 2 भारतीय विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान (आईआईएसईआर), 1 राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान (एनआईटी) और 12 नए एम्स की स्थापना की गई है। इसके अतिरिक्त, बजट घोषणा 2025-26 के अनुपालन में सरकार ने आंध्र प्रदेश (आईआईटी तिरुपति), केरल (आईआईटी पलक्कड़), छत्तीसगढ़ (आईआईटी भिलाई), जम्मू एवं कश्मीर (आईआईटी जम्मू) तथा कर्नाटक (आईआईटी धारवाड़) में स्थापित पाँच नए आईआईटी की शैक्षणिक एवं अवसंरचनात्मक क्षमता के विस्तार, जिसमें अनुसंधान पार्क की स्थापना भी शामिल है, को ₹11,828.79 करोड़ की कुल लागत से अनुमोदन प्रदान किया है, जिससे अतिरिक्त 6,500 विद्यार्थियों को शिक्षा प्राप्त करने की सुविधा उपलब्ध होगी। उपर्युक्त के अतिरिक्त, सरकार ने उच्चतर शिक्षा वित्तपोषण एजेंसी (एचईएफए) के माध्यम से आईआईटी जोधपुर, आईआईटी पटना, आईआईटी इंदौर के लिए शैक्षणिक और छात्रावास अवसंरचना के विस्तार और अनुसंधान पार्क के विकास हेतु कुल 1942 करोड़ रुपये का अनुमोदन प्रदान किया है।

कौशल विकास को सहयोग प्रदान करने के लिए, स्वयम प्लस पोर्टल भी शुरू किया गया है, जो कार्यबल के कौशलोन्नयन और पुनः कुशल पर केंद्रित है। 17 क्षेत्रों में 89 उद्योग भागीदारों के सहयोग से 500 से अधिक पाठ्यक्रम तैयार किए गए हैं और एआई, डेटा विश्लेषक आदि जैसे उभरते क्षेत्रों पर प्रदान किए गए हैं। अब तक, 600,000 से अधिक विद्यार्थियों ने इस मंच पर पंजीकरण कराया है। राष्ट्रीय प्रशिक्षुता प्रशिक्षण योजना

(एनएटीएस) स्नातकों और डिप्लोमा धारकों को कार्यस्थल संबंधी संरचित प्रशिक्षण प्रदान करके अकादमिक शिक्षा और उद्योग की आवश्यकताओं के बीच के अंतर को कम करता है।

एनईपी 2020 के अनुरूप, सरकार ने शैक्षिक रूप से असेवित/अल्पसेवित क्षेत्रों की जरूरतों को पूरा करने हेतु रूसा के पूर्व चरणों की प्रतिबद्ध देनदारियों सहित, जून 2023 में 12,926.10 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान (पीएम-उषा) के रूप में राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान (रूसा) का तीसरा चरण शुरू किया है। पीएम-उषा के तहत, फोकस जिलों को प्राथमिकता दी जाती है, जिनकी पहचान संबंधित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा कम सकल नामांकन अनुपात, लैंगिक समानता, जनसंख्या अनुपात और महिलाओं, ट्रांसजेंडरों, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्गों के लिए नामांकन अनुपात, आकांक्षी/सीमा क्षेत्र/वामपंथी उग्रवाद प्रवण जिले आदि सहित विभिन्न मानदंडों के आधार पर की जाती है। उच्चतर शिक्षा में पहुंच और गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए आवश्यक छात्रावासों, शैक्षिक और प्रशासनिक भवनों, प्रयोगशालाओं और अन्य सुविधाओं के निर्माण सहित अवसंरचना के सुदृढ़ीकरण के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को सहायता प्रदान की जाती है। इस योजना के अंतर्गत उत्तर प्रदेश राज्य में कुल 204 इकाइयों को अनुमोदन प्रदान किया गया है, जिनके लिए बलरामपुर और श्रावस्ती जिलों में नए मॉडल डिग्री कॉलेजों की स्थापना हेतु प्रत्येक के लिए ₹12 करोड़ की वित्तीय सहायता सहित ₹1,942.27 करोड़ की कुल राशि अनुमोदित की गई है।
